जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन – मार्गदर्शिका

Status: DRAFT, for review feedback & correction/improvement.

दस्तावेज का उद्देश्य

यह मार्गदर्शिका जीवन विद्या योजना के अनतर्गत राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए उपयुक्त मार्ग एवं नियम प्रशस्त करता है, ताकि सम्मेलन दर्शन के लोकव्यापीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सुचारू रूप से, सर्व सम्मति से होता रहे | इस मार्गदर्शिका का धारक वाहक “जीवन विद्या सम्मेलन समिति” है | इसमें प्रत्येक वर्ष के आयोजन के अनंतर “ सम्मेलन प्रबंधक” एवं “जीवन विद्या सम्मेलन समिति” के सहमति के साथ इसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे | यह विनम्र अपेक्षा है की आगामी सम्मेलन यहाँ दर्शाए गए दिशा के अनुसार ही हो |

इतिहास

२०११ के सम्मेलन में आगामी सम्मेलनों के रूप रेखा को लेकर एक बैठिक हुई | इसमें निर्णय हुआ की सम्मेलन एक, अथवा कुछ व्यक्तियों के निर्णय से निश्चित होने के जगह सामूहिक रूप से तय किया जाये | तब से सम्मेलन हेतु यह मार्गदर्शिका बहुतायत लोगों के सुझाव सहित, समय के आवश्यकता अनुसार परिष्कृत होता गया है | इसमें सारे केन्द्रों/ समूहों से व्यक्तियों के सुझाव समाया है |

मुख्य समितियां एवं गठन प्रक्रिया

1. **जीवन विद्या सम्मेलन समिति:** सम्मेलन मार्गदर्शिका एवं दिशा का धारक वाहक, निर्णय लेने वाला समूह
    a. सम्मेलन रूप रेखा को तय करने हेतु १५ व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, जिनका चयन देश भर के अध्ययन केन्द्रों एवं अन्य स्थानों से "प्रतिनिधि" विधि से किया जाये | (तालिका संलग्न है)
    b. इसमें: १ प्रतिनिधि पूर्व वर्ष के सम्मेलन स्थल से, १ आगामी सम्मेलन स्थल से, ४ 'अध्ययन केन्द्रों' से, २ 'परिचय समूहों', ६ परिवार गण से रहेंगे | यह समिति अब देश भर में विभिन्न 'स्थान/व्यक्ति' से ३ सदस्यों को मनोनीत करेंगे | कुल १५ से १७ व्यक्ति समिति में होंगे |
    c. इसमें कम से कम २ ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने पूर्व में सम्मेलन का प्रबंधन किये हैं (सम्मेलन प्रक्रिया एवं विधि में जानकार) एवं २ नए/ युवा साथी रहेंगे | कम से कम दो नारी सदस्य रहें |
    d. सम्मेलन समिति २ सम्मेलनों के लिए स्थाई रहेगी | उसके बाद, समिति से 2 व्यक्ति बदलेंगे, एवं 2 जुड़ेंगे | इसका निर्णय आगामी सम्मेलन स्थल के आयोजक स्वयं लेंगे | प्रयास किया जाये की कोई भी व्यक्ति 3 से अधिक वर्ष समिती में न रहें | अपेक्षा है की कुछ वर्षों में इस विधी से सभी केन्द्रों / समूहूँ से प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य भागीदारी कर सकेंगे |
    e. सम्मेलन के रूप-रखा में कोई भी बड़े स्तर के परिवर्तन (एक से अधिक सत्रों का रूप रेखा बदलने) के लिए सम्मेलन समिति का सहमति आवश्यक है |
2. **क्रियान्वयन समिति**
    a. **"स्थानीय आयोजन समिति":** उस वर्ष के सम्मेलन के धारक वाहक, सम्मेलन का क्रियान्वयन जिम्मेदारी
        i. सम्मेलन मुख्य चर्चा वस्तु चयन + सम्मेलन समिति के साथ समन्वयन + सम्मेलन
        ii. आवश्यक 12 क्रियान्वयन समूहों का गठन + राष्ट्रीय सम्मेलन क्रियान्वयन समूह का समावेश
    b. **"सम्मेलन विशेषग्य समूह" (team)** : सम्मेलन क्रियान्वयन (execution) के जानकारी का धारक वाहक|
        i. सम्मेलन में आवश्यक विभिन्न (12) आयाम, जैसे: पंजीयन, आवास, यातायात, भोजन, IT, मीडिया, मंच, इत्यादि में अनुभवी एवं निपुण व्यक्ति, जो प्रति वर्ष सम्मेलन के दौरान स्थानीय आयोजन समूह के साथ संलग्न हों - कार्य समितियों द्वारा | इसमें मंच कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में २ से ३ व्यक्ति हों, जो मंच कार्यक्रम का प्रबंधन करें
        ii. प्रत्येक व्यक्ति ३ सम्मेलन के लिए यह जिम्मेदारी निभाएं, एवं इसमें स्वयं स्फूर्त विधि से नए लोग जुड़ते जाएँ |

Roles and Responsibilities (दायित्व एवं कर्तव्य)

Role	Responsibility
1. जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मलेन समिति (सदस्य) (Jeevan Vidya Sammelan Committee)	1. "जीवन विद्या सम्मलेन" एवं इस मार्गदर्शिका का धारक वाहक 2. इस दस्तावेज के अनुकूल कार्यक्रम रूप रेखा को जांचना, उसमे सुझाव देना| 3. वक्ताओं में एवं सत्रों में / के लिए सभी स्थान, प्रकार के लोगों की आवश्यकता, नर-नारी में समानता, इत्यादी को सुनिश्चित करना 4. सत्रों के conveners एवं वक्ताओं के सुझाव देना 5. पूर्व अनुभव एवं समयकालीन आवश्यकता अनुसार सम्मलेन को और समृद्ध, उपयोगी बनाने के लिए सार्थक सुझाव देना
2."स्थानीय आयोजन समिति" (Local Organizing Committee)	1. सम्मलेन मुख्य विषय वस्तु चयन (मंच चर्चा) 2. "सम्मेलन प्रबंधक" का चयन (एक अथवा दो व्यक्ति) 3. "मंच कार्यक्रम परभारी" का चयन 4. "सम्मेलन समिति" में २ नए प्रतिनिधियों का चयन + समिति के साथ रूप रेखा/दिशा सम्बंधित समन्वयन 5. "स्थानीय आयोजन समिति के लिए एक समनवयक (Organizing Committee Coordinator) का चयन 6. विभिन्न (१२) कार्य समूहों का गठन (भोजन, आवास...)
3. "सम्मेलन प्रबंधक" (Sammelan Program Manager)	1. इस दस्तावेज में सभी मुद्दों पर ध्यान देना, उन्हें क्रिन्यान्वित करना 2. सम्पूर्ण सम्मेलन को एक रूपता देना 3. विभिन्न अंगों को: (i) स्थानीय आयोजन समिति, (ii) सम्मलेन समिति, (iii) मंच कार्यक्रम प्रभारी (iv) सम्मेलन क्रियान्वयन सलाहकार समूह (v) आर्थिक समिति को एक सूत्रित करना (Bringing everybody and everything together)
4. "मंच प्रबंधक" + टीम (२-३ व्यक्ति) (Sessions Incharge)	1. सम्मलेन कार्यक्रम रूप रेखा तैयार करना 2. सम्मेलन समिति को भेजना, उनके सुझावों को यथा संभव अपनाना 3. प्रत्येक दिवस के Anchors (मंच संचालक), वक्ता, सत्रों के समन्वयक (conveners) को "स्थानीय आयोजन समिति" एवं "सम्मेलन क्रियान्वयन सलाहकार समूह" के सुझाव से निश्चित करना, समिति के सुझाव प्राप्त करना, Coordination. 4. सत्र समन्वयक, एवं वक्ताओं के साथ पूर्व तय्यारी 5. सम्मेलन मंच कार्यक्रम का सुचारू सरूप से क्रियान्वयन 6. स्थानीय आयोजन समिति/प्रबंधक के साथ समन्वयन 7. सम्मेलन उपरांत "मार्गदर्शिका" एवं "सम्मेलन प्रबंधन मार्गदर्शिका" को सम्मलेन उपरांत परिष्कृत करना
5. क्रियान्वयन विशेषज्ञ समूह (Sammelan Areas Subject Matter Experts)	1. "सम्मेलन क्रियान्वयन विधि" दस्तावेज का धारक वाहक, उसे परिष्कृत करना 2. "कार्य विज्ञान" को सुचारू रूप से करना 3. अपने अपने कार्य क्षेत्रों (आवास, भोजन इत्यादि) का जिम्मेदारी वहन करना 4. आयोजन समिति के अंग के रूप में कार्य करना, आवश्यक सहयोग करना

6. अर्थ व्यवस्था समूह (Finance Team)	1. सम्मलेन के पूर्व ही 'दिव्य पथ संसथान' => सम्मेलन के आवश्यक खर्च को वेहन करेगा 2. "अर्थ व्यवस्था समिति" सम्मलेन के पश्चात बचे हुए मुद्रा के मात्रा का भरण करना
7. "सम्मेलन स्वयं सेवक समूह" (स्वयं स्फूर्त) (Volunteers Group)	1. सम्मेलन के पूर्व में सम्मेलन रूप रेखा पर विचार विमर्श 2. स्वयं सेवक के रूप में जिम्मेदारी वहन/भागिदार होना 3. 'जीवन विद्या' में अधिकाधिक मित्रों में मौखिक प्रचार प्रसार (Publicity) 4. आगामी सम्मेलनों में मुख्य भागीदारी के लिए तय्यारी (Future Pool)

<u>"सम्मेलन समिति" हेतु सदस्य चयन (१५)</u>

- समिति के चयन हेतु प्रतिनिधि निम्न स्थानों से किये जायें – यह स्थान स्वयं अपने समूहों में चर्चा कर प्रतिनिधि का चयन करेंगे एवं सम्मेलन समिति को भेजेंगे:
- प्रत्येक स्थान से एक प्रतिनिधि सम्मेलन समिति का सदस्य रहेंगे:
    - **अध्ययन केंद्र (४)** (जहाँ पुस्तकों सहित मध्यस्थ दर्शन अध्ययन शिविर/गोष्ठी किये जा रहे हैं):
        - अछोटी, मानव तीर्थ, हापुड़/ दिल्ली,
        - कानपुर ?
    - **परिवार समूह (२)** (जहाँ निश्चित स्थान उपलब्ध है /गठन है)
        - बुलढाणा, ओडीशा (बरगढ़)
    - **परिवार गण (६)** (जहाँ अध्ययनशील/ परिचित साथी कुछ मात्रा में उपस्थित हैं):
        - महाराष्ट्र (यवतमाल, साईं खेड़ा, पुणे, नागपुर), छ.ग. (उत्सव परिसर, रायगड़, एवं अन्य) सागर, गुजरात (सूरत, अहमदाबाद, विसनगर, खेड़ा, राजकोट) राजस्थान (सरदारशहर, भीलवाड़ा) देवगढ...
    - **देश-विदेश भर में अन्य स्थान/व्यक्ति (३)**

*समिति में २ प्रौढ़ अध्येता, कम से कम १ व्यक्ति जिह्नोने पूर्व में सम्मेलन संचालन किया हो, २ नवीन/युवा सदस्य और कम से कम २ नारी सदस्य रहें |

स्थान	**२०१२ अचोटी**	**2013 बिजनोर**	**2014 अमरकंटक**	**2015 बुलढाना**	**2016 स.शहर**	**2017 वाराणसी**	**२०१८ गुजरात**	**२०१९ अमरकंटक**	**२०२३ नागपुर**
सम्मेलन प्रबंधक	**संकेत**	**अनुराग**	**श्रीराम**	**योगेश शास्त्री**	**अजय दायमा**	**सुरेन्द्र पाल**	**सुरेन्द्र पाठक**	**श्रीराम, अंकित**	**योगेश शास्त्री**
मंच समन्वयन									**हेमंत, श्रीराम, अंकित**
अध्ययन केंद्र – २ का चयन									
अछोटी-हिंगना	सुवर्णा	सोम		योगेश, सोम			मंजीत	मंजीत	
बिजनोर			रणसिंह	रणसिंह			रणसिंह	रणसिंह	
कानपुर		श्याम	गणेश ब.	गणेश ब.		अभिषेक व निशा			
इंदौर	अजय	अजय					किशन	किशन	
अमरकंटक / मानव तीर्थ	श्रीराम	श्रीराम	साधन		सुशिल सिंह		सुशिल	मृदु	मृदु
हापुड़								श्रवण शुक्ल	
परिचय केंद्र : १ या २ का चयन									
बरगढ़					गोपाल				
बुलढाना				आशुतोष	आशुतोष		सचिन	सचिन	
समूह: २या ३ का चयन									
अमरोहा / वाराणसी		अरुण, गोनू			अरुण	संगल	संगल		
रायपुर					अनीता	रणजीत	अनीता		
सरदारशहर					हिमांशु	हिमांशु	हिमांशु		
पुणे /maharashtra				महेश	अपूर्वा	वंदना	रुपाली	रुपाली	
हैदराबाद						प्रदीप	प्रदीप		

बेमेतरा		गणेश व.	गणेश व.				गणेश		
यवतमाल								राहुल	
गुजरात						जिगर	पाठक	जिगर	
बंगलोर / दक्षिण							वंदना		
दिल्ली /देहरादून	आतिशी, अशोक	अंकित, अशोक	अंकित, अनुराग			सुनीता जैन व अंकित	अंकित		
देवघर									

सुझावित सम्मेलन जन संख्या:

- सम्मेलन में सत्रों की एवं गोष्ठियों के सार्थकता, तथा व्यवस्था में सुगमता को ध्यान में रखते सम्मेलन में अधिकाधिक 800-1000 लोगों का होना उचित है | इसमें 50-100 स्थानीय लोग एवं 800-900 देश भर से हो सकते हैं | इस हेतु 'संख्या चयन प्रक्रिया' को प्रत्येक सम्मेलन के पूर्व "स्थानीय आयोजन समिति" तय करें | {इस मुद्दे पर सम्मेलन समिति एवं स्थायी मार्गदर्शन समिति का सहमति प्राप्त करें }

अर्थ व्यवस्था:

आर्थिक पक्ष में ३ मुख्य आवश्यकताएं प्रतीत हुई हैं:

1. प्रतिभागी अपने खर्च स्वयं वहन करने से जिम्मेदारी का भाव आये, जीवन विद्या सम्मलेन स्वायत्त: हो जाए
2. आयोजक मंडल पर आर्थिक दबाव न बने
3. कोई भी योग्य प्रतिभागी का खर्च वहन न करने के स्थिति के कारण सम्मलेन में भागीदारी बाधित न हो, न ही उन्हें अन्यथा लगे |

उपरोक्त सन्दर्भ में, सुझाव अनेक सम्मेलनों में बारम्बार आये हैं | उन्हें यहाँ संकलित किया है:

- २०२३ नागपुर सम्मेलन से दिव्य पथ संसथान सम्मेलन के खर्च पूर्व से ही वहन करेगा |
- सम्मेलन में प्रति व्यक्ति प्रति दिन का अनुमानित व्यय अर्थात अपेक्षित सहयोग राशी की सूचना पंजीयन के समय ही स्पष्ट रूप से दिया जाए | यह पूर्णतया स्वेच्छिक हो |
- प्रत्येक व्यक्ति इससे कम या अधिक देने के लिए स्वतंत्र है | इससे सम्मेलन में भाग लेने के प्रति जिम्मेदारी भी बढेगा | इससे अपेक्षा है की सम्मेलन का लगभग 80% व्यय अंशदान से हो जावे |
- कुछ मात्रा आयोजक मंडल स्थानीय परिवारों से रहे | यह स्वाभाविक रूप से, बिना किसी पर आर्थिक दबाव हुए होना उचित है
- शेष मात्रा का भरपाई अर्थ-व्यवस्था-समिति 'दिव्य पथ संसथान' को पूरा करेगा |

<u>सम्मलेन उद्देश्य:</u>

"अध्ययन एवं अभ्यास के क्रम में, मानवीय संस्कृति के अर्थ के उद्देश्य से किया गया मिलन, जिसमें प्रचार, प्रदर्शन, योग्यता अर्जन एवं उत्सव हो | अर्थात पूर्णता के अर्थ में मिलन |

(अर्थात, सम्मेलन , 'जीवन विद्या लोकव्यापीकरण योजना' के अंतर्गत "सार्थक जनवाद" एवं "व्यवहारवादी समाज" के दिशा में पहल है)

उपरोक्त उद्देश्य से निम्न तीन धाराएं सम्मेलन में दृष्टि गोचर होते हैं:

1. समाज में सार्थक सन्देश

- समाज में ज्वलंत मुद्दों पर दर्शन के रौशनी में समाधान प्रस्तुति एवं विचार विमर्श
- नवीन दिशाओं में विचार विमर्श के अवसर

2. जीवन विद्या समूह में सूचना प्रसारण एवं उत्सव

- ३ योजना में देश भर में केंद्र, परिवार एवं समूहों के गतिविधियों की जानकारी
- व्यक्तिगत, परिवारगत प्रयोग, प्रयास, सफलता, अनुभवों जो साझा करना, परस्पर सहयोग के लिए अवसर (personal stories, sharing)
- जीवन विद्या सहज योजना के दिशा को लेकर आवश्यक विमर्श, ध्यानाकर्षण, दिशादर्शन, इत्यादि

3. मैत्री मिलन, संपर्क के लिए अवसर

- देश भर के मित्रों से परिचय, एक दुसरे का सम्पर्क, जुडना (networking), उत्साह वर्धन
- योजना में एक दुसरे के सहयोग एवं समन्वयन हेतु चर्चा का अवसर
- अपने अभ्यास, गुणात्मक परिवर्तन के लिए अवसर

4. स्वयं में योग्यता अर्जन

- सम्मेलन में भागीदार होकर स्वयं का योग्यता अर्जन होना
- मंच प्रस्तुति, अन्य विचार विमर्श एवं विभिन्न आयामों में भागिदार होना

सम्मेलन के रूप रेखा में निम्न प्रकार के श्रोताओं तथा उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है

श्रोता	आवश्यकता
'समाज' के/स्थानीय लोग	दर्शन, उसके योजना एवं लोगों से परिचित होना
नवीन अध्येता	मंच से योग्यता अर्जन तथा जिम्मेदारी वहन का अवसर
नवीन परिचित साथी	सुचना प्राप्ति, उत्साह वर्धन, व्यक्त होने का अवसर
अध्ययनशील प्रौढ़ मित्र	मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन देने का अवसर, उत्सवित होने का अवसर

<u>नोट:</u>

- 'अध्ययन' पर गंभीर चर्चाएँ अध्ययन शिविर एवं गोष्ठियों में होना उचित है
- "शिक्षा का मानवीयकरण, ज्ञान मीमांसा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान", इत्यादि जैसे शैक्षिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हेतु सेमीनार इत्यादि उचित है

उपरोक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु सम्मेलन का निम्नलिखित रूप रेखा है: (PROGRAM FORMAT)

(कार्यक्रम प्रारूप में निम्नलिखित 10 बिंदु शामिल हैं। यह 2011 से सामूहिक सीख और प्रतिसाद पर आधारित है और पिछले अनुभव, फीडबैक पर इसे परिष्कृत किया गया है। इसे सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए रचना किया गया है।

इस प्रारूप में कोई भी संशोधन "सम्मेलन समिति" के सदस्यों की सहमति से किया जाना चाहिए। इस तरीके से, सम्मेलन प्रारूप में पिछली सीख आ पाएंगे और एक सामूहिक दृष्टि को पूरा कर सकेगा, तथा "एक" अथवा "कुछ व्यक्ति" केंद्रित होने या केवल एक दृष्टांत/दृष्टिकोण के अनुसार होने से बचता है।

सम्मेलन में 6 प्रकार के सत्र होते हैं :

A. **मंच चर्चा सत्र (Main Theme):** समाज में ज्वलंत समस्याओं पर समाधान, विचार विमर्श - इन्हें व्यवहारवादी जनवाद से जोड़ना
B. **उप विषय वस्तु (Sub Theme):** स्थानीय महत्व अनुसार
C. **सूचना प्रसारण सत्र**: गत वर्ष योजना गतिविधियां, केस स्टडी, नवीन पहल, ग्रामीण प्रयास, बच्चों की प्रस्तुति व युवाओं की प्रस्तुति, केंद्रों की पोस्टर प्रस्तुति, एवं प्रदर्शनी
D. **प्रौढ़ अध्येता वक्तव्य:** योजना, अध्ययन, अभ्यास के दिशा को लेकर परस्पर ध्यानाकर्षण
E. **गोष्ठी:** छोटे समूहों में निश्चित विषय वस्तु पर सूचना आदान प्रदान एवं संवाद

F. **मैत्री मिलन एवं उत्सव:** स्वतन्त्र समय, सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा

इन ६ प्रकार के सत्रों के क्रियान्वित हेतु निम्न कार्यक्रम का स्वरूप प्रस्तावित है:

A		**मंच चर्चा सत्र**	**समय, सत्र**	**Total**
	1	मुख्य विषय वस्तु (main social theme) (समाज में ज्वलंत समस्याओं पर दर्शन के रौशनी समाधान, विचार विमर्श) + लेखों का संकलन, जो पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में छप सकेगा	1.5 घंटे x 2 सत्र	3 hrs
	2	उप विषय वस्तु (Sub Theme) - स्थानीय महत्व अनुसार	1.5 hrs X 1 सत्र	1.5 hrs.
B		**सूचना प्रसारण सत्र (Information Dissemination)**		
	3	योजना में देश भर में गतिविधि प्रगति/रिपोर्ट	३० मिनट x १ सत्र	30 mins
	4	व्यष्टि अध्ययन (केस स्टडी)	२० मिनट X २ सत्र	45 mins
	5	नवीन पहल (New initiatives) (Max 8 entries) - 15 min * 8 entries	1.5 घंटे x 1	1.5
	6	ग्रामीण प्रयास	45 mins x 1	45 mins
	7	अध्ययन केंद्र, परिवार समूह व् परिवारों की पोस्टर प्रस्तुति (पाँचों आयामों में) (Stall presentation) + प्रदर्शनी Referencing + (दर्शन, योजना सम्बंधित)	2 x 1 घंटा	२ घंटे
	7*	सम्मलेन प्रबंधक द्वारा इस वर्ष के सम्मलेन प्रक्रिया	15 mins.	15 mins.
	8.	स्थानीय लोगों के लिए परिचय/सूचना सत्र	३ x १ सत्र	३ घंटे
C		**व्यक्तिगत अनुभव साझा करण (Personal Stories)**		
	9	बच्चों का साझा करण (8-17 वर्ष) – जो cvms या उसके वातावरण में पढ़ रहे हैं	3 x 15 mins	45 mins
	10	जीवन विद्या से “नवीन परिचित युवाओं” का साझा करण (18 - 30)	3 x 15 mins	45 mins
	11	‘मध्यस्थ दर्शन अध्ययनरत’ युवकों का साझा करण (18 - 35)	4 x 15 mins	1 hr
D		**प्रौढ़ अध्येयता वक्तव्य**		

	12	योजना, अध्ययन, अभ्यास के दिशा को लेकर परस्पर ध्यानाकर्षण	20 mins x 2 सत्र	1 hr
E		**समानान्तर गोष्ठियां**		
	13	**उद्देश्य**: छोटे समूहों में निश्चित मुद्दों पर विचार विमर्श; जानकारी प्राप्त होना; आगे जुड़ने के लिए संपर्क, दिशा, इत्यादि **(सुचना प्रधान सत्र)** <u>अनिवार्य सत्र</u> 1. अध्ययन शिविर एवं दर्शन वांग्मय सूचना 2. मनन, अभ्यास गोष्ठी 3. युवा सृजन /बैठक (१८-३० वर्ष) 4. स्वावलंबन 5. चेतना विकास मूल्य शिक्षा एवं प्रचलित विद्यालीन शिक्षा में समावेश 6. मध्यस्थ दर्शन शोध समूह बाकी आवश्यकता अनुसार स्वेच्छिक सत्र रहें * प्रौढ़ अध्येताओं से परस्पर मिलन (प्रात: नाश्ता के पूर्व)		2 घंटे
F		**मैत्री मिलन एवं उत्सव**		
	14	सांस्कृतिक कार्यक्रम: “जीवन विद्या” के अर्थ में उत्सव	२ घंटे	२ घंटे
	15	**<u>Day Zero एच्छिक स्नेह मिलन:</u>** सम्मेलन के पूर्व दिवस विभिन्न समूह, परिवार इत्यादि को मैत्री मिलन के लिए अवसर - **संपर्क प्रधान सत्र** 1. “जीवन विद्या” से नवीन परिचित मित्रों के बीच समन्वयन 2. नवीन अध्येताओं के बीच मिलन - online समूह एवं अन्य 3. स्वावलंबन इच्छुक मिलन 4. क्षेत्रीय मिलन (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छ.ग., ऊ.पी.) 5. अध्ययनरत परिवारों का मिलन	१० - १ बजे ३ - ६ बजे ८ - १० बजे	– (Day Zero)
	16	**सायंकाल गोष्ठी (सुचना प्रधान)** ● परिवार एवं परिवार समूह में जीना ● परिचय शिविर prabodhan/ sambodhan_समनवयन ● वांग्मय भाषांतरण प्रयास ● जीवन विद्या लोकव्यापीकरण योजना: सुझाव / विचार विमर्श	१.५- २ घंटे (evening 6 to 8 pm)	Day 1/ 2
#	17	उद्घाटन		१ घंटा
#	18	समापन		१ घंटा
		Total in ~ 2.5 days		22.5 hrs.

जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन की तिथियाँ

क्र	**वर्ष**	**स्थान**	**तिथि**
1	1994	बिजनोर (उ.प्र.)	अक्टूबर
2	1996	नागौद (उ.प्र.)	२१-२३ दिसम्बर
3	1997	नंदिनी (छ.ग.)	२०-२३ सितम्बर
4	1998	झाभुआ (म.प्र.)	२५-२७ दिसम्बर
5	1999	आंव्री (छ.ग.)	२२-२४ अक्टूबर (+ अनुभव शिविर)
6	2000	बिजनोर (उ.प्र.)	अक्टूबर
7	2001	बिहीटा (उ.प्र.)	५-७ अक्टूबर
8	2002	अछोटी (छ.ग.)	अक्टूबर
9	2003	अमरकंटक (म.प्र.)	१०-१३ अक्टूबर
10	2004	भोपाल (म.प्र.)	१-३ अक्टूबर
11	2005	मसूरी (उत्तराखंड)	२१-२३ अक्टूबर
12	2006	कानपुर (उ.प्र.)	२६-२९ अक्टूबर
13	2008	चकारसी (उ.प्र.)	अक्टूबर
14	2009	हैदराबाद (आंध्र.प्र.)	१-४ अक्टूबर
15	2010	बांदा (उ.प्र.)	१३-१५ नवम्बर
16	2011	इंदौर (म.प्र.)	११-१३ नवम्बर
17	2012	अछोटी (छ.ग.)	१६-१९ नवम्बर
18	2013	बिजनोर (उ.प्र.)	१७-२० अक्टूबर
19	2014	अमरकंटक (म.प्र.)	१७-१९ अक्टूबर
20	2015	बुलढाना (माह)	24-26 सितम्बर
21	2016	सरदारशहर (राज.)	१२-१६ नवम्बर
22	2017	वाराणसी	८-१० दिसम्बर
23	2018	गुजरात	15-17 नवम्बर
24	2019	अमरकंटक	१८-२० ओक्टोबर
25	2023	नागपूर (महाराष्ट्र)	3-5 फरवरी

document version history

Date	Comments	Name
nov 2012	created document based on collective inputs	Shriram
dec 2013	updated goshti list after achoti sammelan	Shriram
oct 2014	added pratinidhi model for samiti after amarkantak sammelan	Shriram
april 2016	added samiti list after buldhana sammelan	mahesh kolte
april 2016	attached all forms – see page 11	Shriram
june 2016	Suggestions for Sardarshar sammelan: yuva samiti and बच्चे प्रस्तुति	Himansu D
Dec 2016	Rajasthan Sammelan: removed kendra prastuti, added case stuies & report	Shriram
Feb 2018	Modified slightly based on Varanasi Sammelan: added poster presentation	Shriram
May 2019	Updated after Gujarat Sammelan - added provision for parallel sessions & ग्रामीण मुद्दे	Shriram
Oct 2019	Clarified Sessions objectives and added Q&A format to manch prastuti	Shriram
August 2023	Updated Document based on Nagpur Sammelan meetings & meeting at Rajkot.	Shriram & Hemant.
November 2023	Updated based on feedback and suggestions from Atmiya University workshop	Shriram, Hemant

सुझाव*: jvsammelan@gmail.com*